

FORM NO.III

2022/453

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

रत्नसिंह

बनाम

मजोहरसिंह

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर

285/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
10/6/2022	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>रत्नसिंह</u></p> <p>पिता श्री <u>कालूसिंह राजपूत</u></p> <p>निवासी- <u>सिन्दवडी</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>सिन्दवडी</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>453, 456, 452, 507, 609/454, 608/507</u> कुल कीता <u>6</u> कुल रकबा <u>3.9150</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>सिन्दवडी</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>453, 456, 452, 507, 609/454, 608/507</u></p> <p>कुल कीता <u>6</u> रकबा <u>3.9150</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1500=00</u> रुपये अक्षरे <u>एक हजार पांच सौ रूपये</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p>



(रविवर सुन्दर सिन्धी)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)